

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, बुधवार, शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 02, 2026

संख्या:11/भू.अ./ज.स./2023/405-415:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के अन्तर्गत तहसील बांसवाड़ा, बागीदौरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, एवं गांगड़तलाई के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति बाबत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के तहत घोषणा दिनांक 25.02.2025 को जारी की गयी, जिसका राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01.04.2025 को किया गया है।

तहसील बागीदौरा के शेष 10 ग्राम यथा तेलियादयडा, हिरजीदयडा, काकनवाणी, हांदडी, बारीगामा, बंबोरी, बुडवा, केवडीया, हमीरपुराबडा एवं डेबरीकालु का स्थानीय ग्रामवासीयों द्वारा नहर का अलाईन्मेंट परिवर्तित करने की मांग को लेकर निरन्तर विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण विभागीय अधिकारीयों को कार्य स्थल पर परिसंपत्ति सर्वे का कार्य करने नहीं दिया जा रहा है जिसके कारणवश अवार्ड जारी करना संभव नहीं हो पा रहा है। ग्रामवासियों के निरंतर विरोध एवं कार्य बांधा उत्पन्न करने से परिसंपत्ति सर्वे समय पर पूर्ण नहीं होना प्रतीत हो रहा, कारण लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-25 के प्रावधान अनुसार धारा-19 की वैधता अवधि 12 माह अर्थात दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृती एतद्वारा प्रदान की जाती है।

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।

1532

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।